



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28072023-247690
CG-DL-E-28072023-247690

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3259]
No. 3259]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 28, 2023/श्रावण 6, 1945
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 28, 2023/SHRAVANA 6, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2023
सं. 21/2023

विषय : डी-आयल्ड राइस ब्रैन की निर्यात नीति में संशोधन।

का.आ. 3405(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2015-20 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की सं. 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा डी-आयल्ड राइस ब्रैन की निर्यात नीति से संबंधित आईटीसी एचएस निर्यात नीति की अनुसूची-2 के अध्याय 23 में निम्नलिखित संशोधन करती है:—

| क्रम सं. | आईटीसी एचएस कोड | विवरण | मौजूदा नीति | नीतिगत शर्त |
|----------|-----------------|---|-------------|--|
| 94 क | 2306 | खली और अन्य ठोस अवशिष्ट, चाहे पीसी हुई हो अथवा टिकियां के रूप में हो, वनस्पति अथवा माइक्रोबियल फेटस अथवा तेलों के निष्कर्षण से प्राप्त, शीर्षक 2304 अथवा 2305 की वस्तुओं के अलावा | मुक्त | तथापि, आईटीसी एचएस कोड 2306 और अन्य किसी एचएस कोड के अंतर्गत डी-आयल्ड राइस ब्रैन का निर्यात दिनांक 30.11.2023 तक निषिद्ध है। |

2. अधिसूचना का प्रभाव:

डी-आयल्ड राइस ब्रैन की निर्यात नीति को तत्काल प्रभाव से दिनांक 30.11.2023 तक 'मुक्त' से संशोधित करके 'निषिद्ध' किया गया है।

[फा. सं. 01/91/191/030/एएम21/ईसी/ई-36363]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th July, 2023

No. 21/2023**Subject: Amendment in Export policy of De-Oiled Rice Bran.**

S.O. 3405(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 read with section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992), as amended, read with Para 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-20, the Central Government hereby makes following amendment in Chapter 23 of the Schedule -2 of ITC HS export policy related to export policy of De-Oiled Rice Bran:

| Sl. No. | ITC HS code | Description | Present Policy | Policy Condition |
|----------------|--------------------|--|-----------------------|---|
| 94 A | 2306 | Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of vegetable or microbial fats or oils, other than those of heading 2304 or 2305 | Free | However, export of De-Oiled Rice Bran under ITC HS code 2306 and under any other HS code is prohibited till 30.11.2023. |

2. Effect of the Notification:

Export policy of De-Oiled Rice Bran is amended from 'Free' to 'Prohibited' with immediate effect upto 30.11.2023.

[F. No. 01/91/191/030/AM21/EC/E-36363]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade Ex-Officio Addl. Secy.